23/11/22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 7/12/22 को पेश हो।

7/12/22 वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में रिपोर्ट TDR KPR पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/12/2022 को पेश हो।

13/12/22 वादी अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। पूर्ण डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति TDR KPR को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 206/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. रतना राम पुत्र भगत राम जाति चमार निवासी चक 32 एच तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

उपस्थितः 1.श्री दलजीत सिंह बराड, अधिवक्ता वादी तारीख रजूः- 16.11.2022

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : 13.12.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 32 एच ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 32/30 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11 के किला नम्बर 6 के 0.240 हेक्टैयर, किला नम्बर 7 ता 13 प्रत्येक के 0.253 हेक्टैयर कुल 2.011 हेक्टैयर नहरी बारानी भूमि मुझ वादी एंव मेरे भाई सोहनलाल पुत्र भगत राम के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में वादी के नाम 1.005 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता भगत राम पुत्र रामा को माफी कोटवाल में आंवटित की गई थी। वादी के पिता भगत राम की मृत्यू के पश्चात उक्त भूमि वादी एंव वादी के भाई बहिस्सा बराबर-बराबर प्राप्त हुई। चक 32 एच ए की जमाबन्दी सम्वत 2014 ता 17 के खाता संख्या 2 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11, 12, 13 भूमि नहरी दर्ज है। इसके पश्चात मिसल बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा भू-प्रबन्ध सेंटलमेंट के समय जमाबन्दी सम्वत 2027 ता 2036 जारी करते समय मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11,12,13 को नहरी के स्थान पर सहवन से त्रुटिवश बारानी दर्ज कर दिया एंव इसके पश्चात की तमाम जमाबन्दियों में उक्त मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11, 12, 13 बारानी दर्ज होते चले आ रहे है, जबकि उक्त भूमि शुरू से ही नहरी है। मिसल बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा त्रुटिवश मिसल बन्दोबस्त जारी करते समय उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नहरी के स्थान बारानी दर्ज कर दी, जिस वादी दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है। आज से करीब 7 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी से उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए कहा तो प्रतिवादी तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर द्वारा श्रीमान् जी के न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिए श्रीमान् जी के समक्ष दावा पेश करना आवश्यक हो गया है। यही विनाये दावा व विनाये मुखास्मत है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 32 एच ए के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11, 12, 13 की बारानी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। उक्त प्रकरण के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्रांक 443 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 32 एच ए के किला नम्बर 11,12,13 कुल 0.759 [illegible] भूमि के सम्बन्ध में पटवार हल्का 42 एच की रिपोर्ट के अनुसार [illegible] सिंचित है एंव जल संसाधन की रिपोर्ट के अनुसार मुरब्बा नम्बर 11 के 16 बीघा 19 बिस्वा नहर द्वारा सिचिंत है। सैल रजिस्टर के खाता के अनुसार श्री उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश क्रमांक 1090 दिनांक 19.04.1968 से प्रार्थी के पिता भगतराम पुत्र रामा को 7 बीघा 19 बिस्वा नहरी कृषि भूमि 400 रुपए प्रति बीघा की दर से आवंटित हुई थी। अतः किला नम्बर 11, 12, 13 की पूर्व में राशि जमा है। वर्तमान में अन्तर राशि देय नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:28 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 32 एच ए की जमाबन्दी सम्वत 2014 ता 17 के खाता संख्या 2 की प्रति, चक 32 एच ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 32/30 की प्रति, पर्ची बारावन्दी की प्रति, अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उतरखण्ड श्रीगंगानगर की रिपोर्ट की प्रति, सीसीए चक प्लान 32 एच की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा चक 32 एच ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 32/30 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11,12,13 की 0.759 हेक्टैयर भूमि की बारानी किस्म को नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। चक 32 एच ए की जमाबन्दी सम्वत 2014 ता 17 के खाता संख्या 2 के मुरब्बा नम्बर 11, 12, 13 की 0.759 हेक्टैयर भूमि नहरी दर्ज है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उतर खण्ड श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार चक 32 एच के नहरी मुरब्बा नम्बर 11 (पत्थर नम्बर 194/129) में 16 बीघा 19 बिस्वा भूमि कमांड है। उक्त वर्णित क्षेत्र गंगनहर के पानी आने के समय से मूल रूप से ही कमाण्ड है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 32 एच ए के किला नम्बर 11,12,13 कुल 0.759 हेक्टैयर भूमि मौके पर सिचिंत है। सैल रजिस्टर के खाता के अनुसार श्री उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश क्रमांक 1090 दिनांक 19.04.1968 से प्रार्थी के पिता भगतराम पुत्र रामा को 7 बीघा 19 बिस्वा नहरी कृषि भूमि 400 रुपए प्रति बीघा की दर से आवंटित हुई थी। अतः किला नम्बर 11, 12, 13 की पूर्व में राशि जमा है। वर्तमान में अन्तर राशि देय नहीं है। वाद वादी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उतर खण्ड श्रीगंगानगर, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 32 एच ए, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 32/30 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11, 12, 13 की कुल 0.759 हेक्टैयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:28 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ (श्री गंगानगर) ★ श्रीकरणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

रतनाराम बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 206/2022

निर्णय दिनांक :- 13.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 32 एच ए, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 32/30 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11, 12, 13 की कुल 0.759 हेक्टैयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 13.12.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
			स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	मेहनताना वकील पर	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	योग	00	00
योग	04	00			

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांकः 13.12.2022

क्रमांकः रीडर/ 2022/613
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:28 IST
Reason: SelfAttested